

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 44 / 2025

प्रार्थी : -

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्री भगाराम पुत्र श्री भूबाराम जाति मेघवाल निवासी वासा के कायम मुकाम-
 - 2.1. श्रीमती ललितादेवी पत्नि स्व. श्री भगाराम मेघवाल निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 2.2. श्री गौरव पुत्र स्व. श्री भगाराम जरिए संरक्षक माता ललितादेवी पत्नि स्व. श्री भगाराम मेघवाल निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
 - 2.3. सुश्री भूमिका पुत्री स्व. श्री भगाराम जरिए संरक्षक माता ललितादेवी पत्नि स्व. श्री भगाराम मेघवाल निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज
अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भंवरलाल परमार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.02.2026



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 100 दिनांक 29.12.2022 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल परमार द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरौही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि विरुद्ध पारित पट्टा संख्या 100 दिनांक 29.12.2022 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह कि इस विक्रय विलेख के परिवाद की जाँच जिला स्तरीय जाँच कमेटी के द्वारा करने के उपरांत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158

की पालना नहीं करने से पत्र क्रमांक श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरौही के जिपसि/पंचायत/परावि/2024/125 दिनांक 13.06.2024 द्वारा निगरानी

जिला कलक्टर, सिरौही

....पेज नं. 02

प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे उक्त विक्रय विलेख नियम विरुद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत जब कभी आबादी के विकास के लिए भूमि किसी पंचायत को अंतरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजना कार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक ने बिना किसी भूमि का विकास प्लान तैयार किये एवं बिना अनुमोदन ही विक्रय विलेख जारी किये गये, जो खारिज योग्य हैं। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 (1) के अनुसार पंचायत गांव आबादियों (300 वर्गगज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। परन्तु अप्रार्थी संख्या दो अपात्र होते हुये भी अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या दो को नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या तीन को पट्टे में उल्लेखित शर्त संख्या तीन की अवहेलना कर नियम विरुद्ध पट्टा विक्रय किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत निःशुल्क जारी पट्टे को आवंटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं है। जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 148 की पूर्ण अवहेलना करते हुए विक्रय विलेख जारी किया है तथा अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं कर बिना पात्रता के ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 100 दिनांक 29.12.2022 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावे।



अप्रार्थी संख्या दो के वारिसान के लायक अधिवक्ता श्री भंवरलाल परमार द्वारा दोराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत को उक्त भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने का कानूनन अधिकार है एवं अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना कर एवं अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने से ही एक छोटे से भूखण्ड का आवंटन अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। यह कि प्रार्थी द्वारा जांच मनमाने तरीके से व गलत रूप से व दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गयी है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने से उसे नियमों के अनुरूप एक छोटे से भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है और न ही पंचायती राज नियमों की अवहेलना हुई है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या एक को शुल्क भी अदा किया है एवं अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने से उसके हक में पट्टा जारी किया गया है और उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड पर वह बतौर स्वामी काबिज है। यह कि प्रार्थी द्वारा करवाई गई जांच के संबंध में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अगर कोई गलत रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दी गई है तो वह रिपोर्ट खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि

अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज के नियमों के अनुरूप ही पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत वासा को गांव में भूमि आबादी विस्तार के लिए उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 05.08.2022 को भूमि आवंटित की गयी थी एवं आवंटन की शर्त अनुसार उक्त आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर पंचायती राज नियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को ही नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किये गये है एवं इस संबंध में नियमानुसार ग्राम सेवक व पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत की कमेटी से जांच रिपोर्ट मंगवाकर पात्र व्यक्तियों को ही पट्टे जारी किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से सत्यापन/प्रमाण नहीं दिया गया है तथा निगरानी प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः शपथ पत्र के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी प्रार्थना पत्र के प्रारूप में नहीं है। यह एक विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रस्ताव नियमानुसार पारित किया गया है एवं उस प्रस्ताव को आज तक प्रार्थी ने कभी भी चुनौती नहीं दी है, जिसके अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्चा खारिज कराना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभाँति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 100 दिनांक 29.12.2022 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत वासा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार—

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन— (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300


वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, छोड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गौड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23-ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं पात्र व्यक्तियों को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत वासा में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध नहीं है, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम पंचायत वासा द्वारा उक्त विवादित पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या दो के पास अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध नहीं था। अतः अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी संख्या दो

के पास उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या दो आवासहीन व्यक्ति नहीं होते हुए एवं नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा ग्राम पंचायत वासा को पूर्व में आवंटित की गई भूमि पर जारी किया गया है तथा उक्त आवंटित भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के अनुसार ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कार्यवाही कर पट्टा जारी किया जाना था। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142 के अनुसार जब कभी आबादी के विकास के लिए भूमि किसी पंचायत को अंतरित की जाए तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी, उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का भावी विकास अनुमोदित विकास योजना के अनुसार किया जाएगा। परन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक ने बिना भूमि का विकास प्लॉन तैयार किए एवं बिना अनुमोदन ही विक्रय विलेख जारी किया जाना प्रतीत होता है, जो उचित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत वासा द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड को आवंटन करने से पूर्व आवंटि की पात्रता की जांच भी नहीं की गई है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन से पूर्व ग्राम में आम सूचना देकर आवेदन चाहे गए थे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति आमंत्रण सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत वासा द्वारा उक्त आपत्ति आमंत्रण सूचना पत्र भी जारी नहीं किया गया है, जिससे पट्टा जारी करने की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होता है और इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा भी किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो यह साबित करता हो कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर आज तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाकर वर्तमान में भी उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड की भूमि खुली भूमि पड़ी हुई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पास पहले से ही अन्य कोई भूखण्ड उपलब्ध है, जिसमें वह निवासरत है। अतः अप्रार्थी संख्या दो का उक्त विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा नहीं होते हुए एवं अप्रार्थी संख्या दो उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 100 दिनांक 29.12.2022 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।


(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही

